

प्रेषक,

डी0एस0 शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-2

लखनऊ:

दिनांक: 25 अप्रैल, 2014

विषय:-“FORENSIC MEDICAL CARE FOR VICTIMS OF SEXUAL ASSAULT” के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश के अनुसार कार्यवाही किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक डिपार्टमेन्ट आफ हेल्थ रिसर्च द्वारा जारी “FORENSIC MEDICAL CARE FOR VICTIMS OF SEXUAL ASSAULT” के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश (प्रतिलिपि संलग्न) जो बेवसाइट <http://www.icmr.nic.in/dhr/pdf/1%20DHR%20Forensic%20Medical%20Manual%20Sexual%20Assault.pdf> पर भी उपलब्ध है, का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त दिशा-निर्देश द्वारा SEXUAL ASSAULT पीड़ित महिला को चिकित्सा उपचार की सुविधा व मेडिकल कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये गये हैं। कृपया उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु अपने स्तर से प्रत्येक मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,



(डी0एस0 शर्मा)
सचिव।

संख्या- 1120 (1)/सेक-2-पांच-2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन।
2. पुलिस महानिरीक्षक (अपराध), मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका जिला चिकित्सालय/संयुक्त जिला चिकित्सालय/जिला महिला चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. ✓ प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त शासनादेश एवं उसमें डी0एच0आर0 द्वारा जारी गाइड लाइन्स विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. मॉर्ड बुक।

आज्ञा से,



(मधु जोशी)

संयुक्त सचिव।

2